भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2840

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2025

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

2840. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

श्री बसवराज बोम्मई:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आवेदकों, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) और एनएमडीएफसी के बीच ऋण लेखा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के संबंध में एनएमडीएफसी के लिए अल्पसंख्यक ऋण लेखा सॉफ्टवेयर (मिलन) के प्रमुख कार्य क्या हैं;

(ग) एनएमडीएफसी द्वारा रियायती ऋण के संवितरण का ब्यौरा क्या है और इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या एनएमडीएफसी वर्तमान में देवास-शाजापुर निर्वाचन क्षेत्र में कोई योजना या वित्तीय सहायता कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या कितनी है, किस तरह की योजनाएं कार्यान्वित की गई और कुल कितनी निधि संवितरित की गई है;

(च) क्या सरकार की निर्वाचन क्षेत्र के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एनएमडीएफसी के लाभों तक पहुंच बढ़ाने या उसे सरल बनाने की कोई योजना है; और

(छ) सरकार द्वारा एनएमडीएफसी की योजनाओं और अवसरों के संबंध में देवास-शाजापुर में अल्पसंख्यक समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क): सरकार अल्पसंख्यकों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाएँ लागू करता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, महिलाओं और व्यावसायिक समूहों को विशेष प्राथमिकता देते हुए, स्व-रोज़गार और आय सृजन उद्यमों के लिए रियायती ऋण प्रदान करके अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू करती है। एनएमडीएफसी की योजनाएँ

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पंजाब ग्रामीण बैंक और केनरा बैंक द्वारा नामित राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। एनएमडीएफसी की योजनाओं का विवरण "अनुबंध-क" पर उपलब्ध है।

(ख): एनएमडीएफसी के लिए अल्पसंख्यक ऋण लेखांकन सॉफ्टवेयर (MILAN) लाभार्थियों, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) और एनएमडीएफसी के बीच ऋण लेखांकन प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराता है, जिसमें ऑनलाइन रूप से आवेदन जमा करना, मंजूरी देना, संवितरण, ब्याज गणना और एमआईएस रिपोर्ट तैयार करना शामिल है, जिससे अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सुलभ पहुंच सुनिश्चित होती है और सभी हितधारकों के लिए कागज रहित संचालन और वास्तविक समय डेटा प्रबंधन की सुविधा मिलती है। आवेदक इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आवेदन ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए संबंधित एससीए तक पहुंचता है। SCA प्राप्त आवेदनों की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन, ऋणों की मंजूरी, संवितरण, ब्याज गणना, EMI निर्धारण (मासिक और त्रैमासिक) और विभिन्न MIS रिपोर्ट तैयार करता है। MILAN के अंतर्गत सावधि ऋण, शिक्षा ऋण, विरासत और लघु-वित्तपोषण सहित एनएमडीएफसी की कई योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनएमडीएफसी, MILAN के माध्यम से SCA को मांग नोटिस, आशय पत्र (LOI) और वार्षिक आवंटन जारी करता है, SCA से डिजिटल रूप से पुष्टि प्राप्त करता है, जिससे ये प्रक्रियाएं पूरी तरह से डिजिटल हो जाती हैं।

(ग): 1994-95 में अपनी स्थापना के बाद से एनएमडीएफसी ने 25.86 लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल करने के लिए 9632.32 करोड़ रुपये (31.3.25 तक) का रियायती ऋण संवितरित किया है।

(घ) से (छ): मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (MPBCMFDC), NMDFC की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA) है। हालाँकि, मध्य प्रदेश राज्य में MPBCMFDC के माध्यम से NMDFC योजनाओं का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2005-06 से रुका हुआ है क्योंकि राज्य सरकार ने MPBCMFDC को केवल राज्य सरकार की योजनाओं का ही कार्यान्वयन करने का निर्देश दिया है।

*****

अनुबंध-क

पात्रता की शर्त

1. सभी छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

2. क्रेडिट लाइन-1 के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता मानदंड 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है। क्रेडिट लाइन-2 के तहत, 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की उच्च वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति उच्च ब्याज दर पर अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

एनएमडीएफसी की रियायती ऋण योजनाएं

1. सावधि ऋण:- इस योजना के तहत सहायता किसी भी व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से व्यवहार्य उद्यम के लिए उपलब्ध है। क्रेडिट लाइन-1 के तहत प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 20.00 लाख रुपये तक का ऋण 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर प्राप्त करने के पात्र होंगे।

क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 8% प्रति वर्ष और महिला लाभार्थियों के लिए 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 30.00 लाख रुपये तक का उच्च ऋण प्राप्त कर सकता है।

शिक्षा ऋण:- शिक्षा ऋण योजना सावधि ऋण योजना का हिस्सा है। अधिकतम 5 वर्ष की अवधि वाले तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। क्रेडिट लाइन-1 के तहत 3% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर भारत में पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए 20.00 लाख रुपये और विदेश में पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए 30.00 लाख रुपये तक का शैक्षिक ऋण उपलब्ध है, जबकि क्रेडिट लाइन-2 के तहत पुरुष लाभार्थियों से 8% प्रति वर्ष और महिला लाभार्थियों से 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है।

विरासत योजना:- यह योजना भी सावधि ऋण योजना का हिस्सा है और इसे कार्यशील पूंजी और नियत पूंजी दोनों के माध्यम से कारीगरों की ऋण आवश्यकताओं जैसे उपकरण/औजार/मशीनरी की खरीद को पूरा करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत क्रेडिट लाइन-1 के तहत पुरुष कारीगर के लिए 5% प्रति वर्ष और महिला कारीगर के लिए 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर और क्रेडिट लाइन-2 के तहत पुरुष कारीगर के लिए 6% प्रति वर्ष और महिला कारीगर के लिए 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

2. लघु वित्तपोषण: लघु वित्तपोषण योजना के तहत, स्वयं सहायता समूहों (SHG) के सदस्यों, खासकर दूरदराज के गांवों और शहरी झुग्गियों में बिखरे अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को सूक्ष्म-ऋण दिया जाता है, जो औपचारिक बैंकिंग ऋण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस योजना के लिए आवश्यक है कि लाभार्थियों को स्वयं सहायक समूहों में संगठित किया जाए और उनमें बचत और ऋण की आदत डाली जाएं, चाहे वह राशि कितनी भी छोटी क्यों न हो। एसएचजी के प्रत्येक सदस्य को क्रेडिट लाइन-1 के तहत 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध है।

क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत प्रति SHG सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये तक का उच्च ऋण उपलब्ध है, जिसमें पुरुष लाभार्थियों के लिए 10% प्रति वर्ष तथा महिला लाभार्थियों के लिए 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर है।

*****